सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

1. **अपील संख्याः 128/13** **निर्णय दिनांक 12.01.2018**

1. श्रवणराम पुत्र भूराराम जाति नायक निवासी शेखसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, पूगल।

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 19–12–2002
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़

उपस्थितः–

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक उपनिवेशन आयुक्त छतरगढ़ बीकानेर के निर्णय दिनांक 19.12.2002 के विरुद्व पेश की, जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम,1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण एकीकृत योजनान्तर्गत चयनित होने पर अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये थे। जिस पर लम्बे समय तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 19–12–2002 को अपीलांट को सबूत व सुनवाई का अवसर दिये बिना सरासर एकतरफा तौर पर अपीलांट का चयनित आवंटन आवेदन को निरस्त कर दिया जो कानून एवं विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट ने वर्ष 1983 अथवा उससे पूर्व का चयनित होने बाबत् प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः वांछित सबूत के अभाव में आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है। जबकि अदालत मातहत द्वारा वांछित सबूत प्रस्तुत करने हेतु अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। पत्रावली में अपीलांट को नोटिस जारी करने का आदेश नहीं दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूप से पालना नहीं की गई है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट आज भी चयनित व्यक्ति है, सद्भावी काश्तकार है व बीकानेर, राजस्थान का मूल निवासी है। अपीलांट भूमि आवंटन की पात्रता रखता है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अपीलांट को सबूत व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर अपीलांट का आवेदन निरस्त किया गया है जो कानून व विधि के विरूद्व है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार के बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद धोषित की जावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 19–12–2002 के विरूद्व अपील दिनांक 05–04–13 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अदालत

मातहत द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र वांछित सबूत पेश नहीं करने के आधार पर खारिज किया गया है। अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा दिनांक वर्ष 1983 को सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ के समक्ष चयनित आवंटन के तहत आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा आवेदन पत्र के साथ समस्त आवश्यक दस्तावेजात् भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 19–12–2002 को अपीलांट का प्रार्थना इस आधार पर खारिज किया गया कि अपीलांट द्वारा वर्ष 1983 अथवा उससे पूर्व का चयनित होने बाबत् प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है अतः वांछित सबूत के अभाव में आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।

(2) हमने अपीलाधीन आदेश व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण एकीकृत योजना के अन्तर्गत चयनित होने के आधार पर अदालत मातहत के समक्ष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अदालत मातहत द्वारा नोटिस प्रसारित कर पत्रावाली बाद तामील होने पर पेशी पर ली गई। अपीलांट द्वारा वर्ष 1983 अथवा उससे पूर्व का चयनित होने बाबत् प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया। जबकि अपीलांट स्वमेव का कथन है कि उसके द्वारा ग्रामीण एकीकृत योजना के अन्तर्गत चयनित होने के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था।

(3) जब अपीलांट द्वारा जिस योजना के अन्तर्गत आवंटन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था उस बाबत् चयनित होने का प्रमाण पत्र ही अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट द्वारा वांछित सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये है अतः वांछित सबूत के अभाव में आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।

(4) चूंकि अपीलांट द्वारा वांछित सबूत अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये है अतः अदालत मातहत द्वारा विधि सम्मत रूप से अपीलांट का आवेदन पत्र खारिज किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का

अधिकारी नहीं है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ का आदेश दिनांक 19–12–2002 बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर